न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 08/2021

प्रार्थीगण

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
(2) उप सरपंच, ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) श्री उनाराम पुत्र जेठाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही (मृतक) के कायम मुकाम :–

1/1. कैलाश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री उनाराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

1/2. अर्जुनराम पुत्र स्वर्गीय श्री उनाराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

1/3. श्रीमती भूरीदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री उनाराम जी, जाति–पुरोहित, निवासी– दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

(2) ग्राम पंचायत, जीरावल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जीरावल, तहसील– रेवदर

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 17 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जीरावल द्वारा श्री उनाराम पुत्र जेठाजी, जाति– पुरोहित, निवासी– लालपुरा (हमीरपुरा), तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 14–9–2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से निगरानी आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 10–6–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री देवासी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि गांव हरणी अमरापुरा, पूर्व में ग्राम पंचायत, जीरावल के अधीन था, जो वर्ष 2020 में हरणी अमरापुरा नाम से राज्य सरकार द्वारा नई ग्राम पंचायत गठित कर हरणी अमरापुरा को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया है। प्रार्थीगण, उक्त नवसृजित ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा की सरपंच फैन्सी देवी एवं उप सरपंच बलवन्तसिंह देवड़ा है जो क्रमशः प्रार्थी संख्या 1 व 2 हैं, जिन्हें अपनी ग्राम पंचायत की चल व अचल सम्पति की सुरक्षा का दायित्व है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के करीब 10 दिन पूर्व ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा के गांव हरणी अमरापुरा में मजदूरो को लेकर आया एवं तारबंदी करने की

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही* न्यायालय
सत्यमेव जयते

कोशिश करने लगा जिस पर प्रार्थीगण व हरणी अमरापुरा के ग्रामवासियो ने अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को उक्त अवैध कृत्य करने से रोका, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने एक तथाकथित पट्टा संख्या 21 दिखाया एवं कहां कि मेरे तो उक्त भूमि का पट्टा बना हुआ है। तब प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मेल मिलापकर गुपचुप तरीके से एवं फर्जी राशन कार्ड गांव लालपुरा का निवासी बनकर मूल रूप से गांव दांतराई का निवासी होने के बावजूद अपने हक में पट्टा जारी करवा दिया है। जिस पर प्रार्थीगण को जानकारी होते ही पट्टा की प्रति प्राप्त कर गलत व विधि विरूद्ध ग्राम पंचायत से बाहरी व्यक्ति को जारी पट्टा को निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि ग्राम पंचायत जीरावल, द्वारा अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित के हक में नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत् उक्त पट्टा संख्या 21 दिनांक 14.09.2019 को जारी किया गया है जो गलत व विधि विरूद्ध है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी गांव दांतराई का मूल निवासी है, जिसके बाप दादा भी ग्राम दांतराई में निवास करते आये है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी स्वयं व उसके पूर्वज कभी भी लालपुरा (हमीरपुरा) के निवासी नहीं रहे है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित का आधार कार्ड, गांव दांतराई के पुरोहित वास का बना हुआ है एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली सन् 2020 ग्राम पंचायत, दांतराई के क्रम संख्या 135 पर उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित का नाम अंकित है एवं क्रम संख्या 136 से 140 तक उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित के परिवार के सदस्यों के नाम अंकित है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, निवासी– दांतराई ने कोरोना काल में लॉक ड़ाउन के दरम्यान 10X10 वर्गफीट का एक कमरा बनाया है, जबकि उक्त पट्टा जारी करने के समय मौके पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं था। ग्राम पंचायत, जीरावल के तत्कालीन सरपंच ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर दूसरी ग्राम पंचायत के नागरिक को खाली भूखण्ड़ का उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत् केवल मात्र पुराने गृहो का विनियमितिकरण किया जा सकता है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित को उक्त नियम के तहत् मात्र 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये) में पट्टा जारी किया गया है जो केवल मात्र अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत् पिछले 50 वर्षो से अधिक से पुराने घर पर कब्जा होने पर ही 200/– (अक्षरे दो सौ रुपये) में पट्टा जारी किया जाता है लेकिन इस प्रकरण में अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित को जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि दिनांक 08–3–1990 को उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के आदेश संख्याःपीए/90/670 दिनांक 08–3–1990 के द्वारा खसरा संख्या 1054मी के कुल रकबा 23.04 बीघा में से 5 बीघा भूमि आबादी हेतु आवंटित हुई थी। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 08–3–1990 की शर्त संख्या 3 में यह अंकित है कि उक्त आवंटित भूमि के प्लोट नीलाम किये जाकर प्लोट ग्राम हरणी अमरापुरा के निवासीयों को ही दिये जायेंगे। जबकि अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित गांव हरणी अमरापुरा का निवासी ही नहीं है एवं न ही तत्कालीन ग्राम पंचायत, जीरावल के किसी अधीनस्थ गांव का नागरिक ही था, फिर भी मेल मिलावट कर अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठा जी ने उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 21 प्राप्त किया है। उक्त पट्टे पर न तो तत्कालिन सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर ही है एवं न ही भूखण्ड़ संख्या ही अंकित है, इससे भी यह साफ जाहिर होता है कि आनन फानन में बनाया गया पट्टा फर्जी है। उक्त खसरा संख्या 1054/6 में बनाये साईट प्लान के उक्त पट्टे में वर्णित चतुदर्शी व नाप का कोई भूखण्ड़ ही है। अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी, मूल एवं स्थायी रूप से गांव दांतराई का निवासी है एवं अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित ने ग्राम

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय *सिरोही*

पंचायत, दांतराई से दिनांक 03—7—2017 को 1868—56 वर्गफीट का पट्टा संख्या 56 नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत् स्वयं को ग्राम दांतराई का निवासी बताकर 50 वर्ष से अधिक पुराना घर व कब्जा होना बताकर 200/— (अक्षरे दो सौ रूपये) में पट्टा प्राप्त किया है, इससे भी साफ जाहिर है कि अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, लालपुरा (हमीरपुरा) का निवासी न होकर दांतराई ग्राम पंचायत दांतराई का मूल निवासी है। ग्राम पंचायत, जीरावल के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, निवासी— दांतराई को अनुचित फायदा पहुँचाने की गरज से नियम विरूद्ध तरीके से दिया गया है, जिससे ग्राम पंचायत की सम्पत्ति व राजस्व का नुकसान हुआ है। पट्टा जारी करने से पूर्व विधि के अज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया है एवं फर्जी निरक्षण पत्र लेकर गलत रूप से पट्टा जारी किया है एवं स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिये है एवं न ही आपत्ति नोटिस भी उक्त भूखण्ड बाबत् जारी किये गये है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जीरावल द्वारा श्री उनाराम पुत्र जेठाजी, जाति— पुरोहित, निवासी— दांतराई के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 14—9—2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राव ने बहस के दौरान उनके जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जीरावल द्वारा श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, निवासी— लालपुरा (हमीरपुरा) के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत उनके पुराने आवासीय मकान मय आवासीय परिसर की भूमि का नियमन करते हुए पट्टा संख्या 21 दिनांक 14—9—2019 को क्षेत्रफल 2193 वर्गफीट भूमि का नियमानुसार जारी किया गया है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, ग्राम लालपुरा (हमीरपुरा) के ही निवासी थे एवं इनके खातेदारी कृषि भूमि भी ग्राम हरणी अमरापुरा, पटवार हल्का जीरावल, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में आई हुई है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित का राशनकार्ड भी ग्राम लालपुरा का बना हुआ है। ग्राम लालपुरा (हमीरपुरा) में उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित का उक्त पट्टे की भूमि पर वर्ष 2004 से पहले का कब्जा व आवासीय केलुपोश मकान मय बाडा बना हुआ था एवं उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित अपने परिवार के साथ उसमें निवास कर रहे थे तथा उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित द्वारा उनके उक्त पट्टे की भूमि पर बने हुए आवासीय मकान में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है, जो वर्ष 2016 से पूर्व से लिया हुआ है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी के पुत्र व पत्नी (अप्रार्थीगण) वर्तमान में भी ग्राम लालपुरा (हमीरपुरा), ग्राम पंचायत हरणी अमरापुरा में निवास कर रहे है। ग्राम लालपुरा, हरणी अमरापुरा, जीरावल व दांतराई आदि गांवों की सीमायें आपस में लगती हुई है। गांव लालपुरा (हमीरपुरा) पूर्व में ग्राम पंचायत जीरावल के अधीन था एवं अब ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा में है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत दिनांक 31—12—2016 से पूर्व के सत्तर वर्षो के दौरान निर्मित आवासीय मकान मय आवासीय परिसर की भूमि के नियमन करने का प्रावधान है। श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, निवासी— लालपुरा (हमीरपुरा) द्वारा अपने उक्त पुराने आवासीय मकान का पट्टा बनवाने हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत, जीरावल में आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, जीरावल द्वारा नियमानुसार मिसल दायर की जाकर संबंधित आज्ञापक प्रावधानों व प्रक्रिया की पालना करते हुए व वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवाकर नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी करते हुए बाद जांच मौके पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ होने से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। आवासीय मकान में आंगन व आवासीय परिसर की भूमि भी सम्मिलित होती है। पट्टाधारक उनाराम जी की पत्नी भूरीदेवी द्वारा ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा में

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

उक्त पट्टे में अंकित संनिर्मित मकान के क्षेत्रफल की भूमि को छोडकर शेष कब्जेशुदा आवासीय परिसर जिसके चारों ओर दिवार बनी हुई है की भूमि की प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि रुपये 1,04,060/— रुपये ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा में रसीद संख्या 10595 दिनांक 04—12—2024 से जमा करवाये गये है, जिससे पंचायत को कोई आर्थिक क्षति नही हुई है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जीरावल द्वारा श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, निवासी— लालपुरा (हमीरपुरा) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए पंचायत संकल्प संख्या 03 दिनांक 09—9—2019 के अनुसरण में उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित, निवासी— लालपुरा (हमीरपुरा) को क्षेत्रफल 2193 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 21 दिनांक 14—9—2019 को जारी किया गया है।

"राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23—क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः—

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100/— रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 200/— रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप—खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप—खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।"

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम हरणी अमरापुरा, पटवार हल्का जीरावल, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही के खाता संख्या नया 251 खसरा संख्या 1037 से 1041 में श्री उना पुत्र जेठाजी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है एवं श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित का राशनकार्ड भी ग्राम लालपुरा का बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है, जिसके विद्युत बिल वर्ष 2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 22—3—2021 (जो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के पत्र क्रमांक/एफ3(लुज)जिपसि/पंचायत/रेवदर/2021/57 दिनांक 22—01—2021 से प्राप्त परिवाद के क्रम में प्रस्तुत किया गया है) में अंकित निष्कर्ष के अनुसार ग्राम हमीरपुरा के मजरा लालपुरा के खसरा संख्या 1054 में से 5 बीघा भूमि ग्राम पंचायत, जीरावल को आबादी विस्तार हेतु आवंटित हुई थी एवं इस भूमि में श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित का वर्ष 2004 से पूर्ववर्ति का कब्जा करके पक्की चार दिवारी व मकान निर्माण होने से वर्ष 2004 से

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही*

पुराना कब्जा होने के साक्ष्यों के आधार पर श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित को पट्टा जारी किया गया है एवं मौके पर क्षेत्रफल 867 वर्गफीट भूमि पर मकान बना हुआ है एवं शेष भूमि के चार दिवारी बनी हुई है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पट्टाधारक उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित की पत्नि अप्रार्थी भूरीबाई द्वारा ग्राम पंचायत, हरणी अमरापुरा में रसीद संख्या 10595 दिनांक 04—12—2024 से पट्टा संख्या 21 दिनांक 14—9—2019 कुल क्षेत्रफल 2193 वर्गफीट की डी.एल.सी. दर अनुसार राशि रुपये 1,04,060/— (अक्षरे रुपये एक लाख चार हजार साठ मात्र) भी जमा करवाये गये है।

इस प्रकार, प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि उक्त पट्टे की भूमि पर पट्टाधारक उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित का वर्ष 2004 से कब्जा एवं आवासीय गृह बना हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान, जयपुर की आज्ञा क्रमांकः एफ.139()परावि/विधि/नियम/मार्गदर्शन/2012/23 दिनांक 10—01—2013 से यह स्पष्ट किया गया है कि पुराने गृह की परिधि में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि भी सम्मिलित होती है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, जीरावल द्वारा श्री उनाराम पुत्र जेठाजी पुरोहित के पक्ष में जारी पट्टे में कोई अनियमितता और अविधिकता प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण, अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही